[*76 The questioner (SHRI TARUN VIJAY) was absent.]

Occurrence of dyslexia among children

*81. SHRI TARUN VIJAY: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether the occurrence of dyslexia among children is a cause of concern;

(b) if so, whether Government is seized of this issue and whether any mapping has been done of dyslexic children; and

(c) whether there are any plans of providing assistance and help to such children and whether the parents too get any assistance to rear dyslexic children in a proper way?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI THAAWAR CHAND GEHLOT): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (c) Relief to the disabled is a State subject by virtue of entry number 9 of State list of Constitution of India. However, dyslexia has not been recognized as a separate disability, though persons with such conditions are assessed under mental retardation which is a recognized disability under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. As regards mapping among dyslexic children, no separate mapping has been done by the Ministry. However, as per Census 2011, there are 15,05,964 persons with mental retardation.

As dyslexia has not been recognized as a separate disability, at present there is no scheme specifically for assisting dyslexic children or their parents by this Ministry.

The Government recognizes the concerns of dyslexic children and has decided to include Dyslexia as a disability. The Government has introduced the Rights of Persons with Disabilities Bill 2014 in the Rajya Sabha on 7.02.2014 which *inter alia* identifies specific learning disabilities as a separate category of disability which includes conditions such as dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia.

The Bill mandates the appropriate Governments to detect specific learning disability in children at the earliest and take suitable pedagogical and other measures to overcome them, provide necessary support individualized or otherwise in environments that maximize academic and social development consistent with the goal of full inclusion, to make modification in the curriculum and the examination system to meet the needs of student with disabilities etc.

The Bill also casts responsibilities on the appropriate Governments to frame schemes to safeguard and promote the rights of persons with disabilities including those with special learning disability for adequate standard of living to enable them to live independently or in the community and also focuses on creating awareness among the masses for protection of their rights.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member not present. Now, the supplementary questions. Shri Anand Sharma.

श्री आनन्द शर्माः सर, मंत्री महोदय ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, वह पर्याप्त नहीं है। यह एक संवेदनशील विषय है कि इस देश में और दुनिया भर में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे किसी न किसी disability से प्रभावित रहते हैं, पर सबको एक mental retardation की category में डालना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो इसमें सुधार लाना चाहिए और दोबारा ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि Dyslexia अलग है, Autism अलग है और Asperger Syndrome अलग है। अगर केंद्र सरकार केवल यह कह दे कि राज्य देखेंगे, हमने इसको recognize नहीं किया, तो यह ठीक नहीं है। प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, "The Government recognises the concern of Dyslexic children and has decided to include now in the disability." मैं यह पूछना चाहता हूँ कि फरवरी 2014 से जो legislation pending पड़ा है, उसको सरकार priority legislation में क्यों नहीं लाती है? यह सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। इससे उनके मां-बाप प्रभावित होते हैं, पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसके लिए केंद्र सरकार अगर यह कहे कि वह संवेदनशील नहीं है और इसको राज्य सरकारों पर छोड़ दे, कानून को प्राथमिकता न दी जाए, तो यह ठीक नहीं है। आप इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रहे हैं? जब तक कानून पारित नहीं होता है, क्या तब तक सरकार interim period में इसके लिए कुछ सोच रही है? स्वयं केंद्र सरकार को इसके लिए अलग से प्रावधान करना चाहिए और राज्यों से बातचीत करनी चाहिए। केंद्र की सरकार, राज्यों के जो मंत्री हैं, उनको बुला कर उनके साथ बैठक करके और उनके साथ मिल कर इस पर कोई निर्णय करे। यह एक अच्छी बात नहीं है कि हमारे देश में यह परिस्थिति है।

श्री थावर चन्द गहलोतः माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि आज की स्थिति तक Dyslexia नामक विकलांगता हमारे विकलांगता की सूची ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः यह विकलांगता नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं। हम 'mentally retarded' कह रहे हैं।

श्री थावर चन्द गहलोतः शर्मा साहब, आप आगे तो सुनिए।

श्री सभापतिः आप जवाब सुन लीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोतः वर्तमान में अलग से इसकी श्रेणी नहीं है, परन्तु यह जो मंदता की श्रेणी है, अभी हम इसे उसी श्रेणी में सम्मिलित करके काउंट करते हैं। इसके लिए हमने मंत्रियों और सेक्रेटरीज़ के साथ राज्यवार मीटिंग्स भी की हैं और इसके आंकड़े भी इकट्ठे किए हैं। इसके माध्यम से हमने इसका सही-सही पता लगाने की कोशिश भी की है। हमारे पास उसके आंकड़े भी हैं।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भिन्न-भिन्न प्रकार की विकलांगता की श्रेणियां अभी उन सात श्रेणियों में कवर नहीं हो रही हैं, इसलिए हमने एक नया विधेयक तैयार किया है। उसमें इन सात श्रेणियों की बजाए 19 श्रेणियां हो जाएंगी और उनमें डिस्लेक्सीआ, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रॉम, सेरेब्रल आदि सब प्रकार के रोग आ आते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको वे 19 श्रेणियां पढ़कर सुना सकता हूं।

महोदय, इस पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी है। वह कमेटी माननीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में काम कर रही है। उसकी एक बैठक हो चुकी है और इसी माह में उसकी एक बैठक और होगी। हमारा प्रयास होगा कि यह जो सात की बजाए 19 कैटेगरीज़ बनाने का प्रस्ताव हमने किया है, इससे सभी प्रकार के विकलांग उसमें सम्मिलित हो जाएंगे और उनको सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। हम इस बजट सत्र के बाद वाले चरण में इसे लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इसमें अवश्य सफलता मिलेगी।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, dyslexia, first of all, is not *viklang*. It is a very minor defect. If detected at source, at a very primary stage, it can be corrected. I know of many such cases. विदेशों में हर स्कूल में यह होता है कि जब सबसे पहले बच्चा दाखिल होता है, तो उसके लिए dyslexia test is very important. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। क्या आपने इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई समाधान किया है, ताकि एकदम प्राइमरी लेवल पर डिस्लेक्सीआ को डिटेक्ट किया जा सके? यह एक साल में ही ठीक हो सकता है। it is not a major handicap.

SHRI ANAND SHARMA: It is a question of early diagnosis. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Have you made an effort to detect children who have dyslexia because a lot of the time, Sir, these children are considered to be mentally disabled?

SHRI ANAND SHARMA: That is what the Minister's reply says.

MR. CHAIRMAN: I think that is a very good question.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: You know they are castigated, especially in rural areas. I think it is very important because it is not a handicap.

श्री थावर चन्द गहलोतः निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं, वह सही है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमने राज्य के मंत्रियों और राज्य के सचिवों के साथ मीटिंग की है और उससे नीचे जाकर जिला चिकित्सा अधिकारियों और कलेक्टर्स के साथ भी मीटिंग की है। इसके साथ-साथ डॉक्टर्स का एक पैनल बनाकर इसके आकलन के लिए प्रयास किया है, इसे चाहे मानसिक मंदता कहें, विकलांगता की एक श्रेणी कहें अथवा बीमारी कहें, हमें इसमें सफलता भी मिली है। परन्तु इसकी जो अलग परिभाषा है, आज की तारीख में वह अलग नहीं है। आने वाले समय में जो 19 कै टेगरीज़ आ रही हैं, उनमें यह भी सम्मिलित हो जाएगी।

श्री आनन्द शर्माः प्रश्न यह नहीं था। प्रश्न यह था कि क्या इसके early diagnosis के लिए केंद्र सरकार, आपका विभाग एवं आपका मंत्रालय कोई राष्ट्रव्यापी नीति बनाएंगे? यहां एक कैम्पेन की बात है, डॉक्टर्स की कमेटी की बात नहीं है।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: There are teachers who diagnose this.

श्री आनन्द शर्माः इसके लिए early diagnosis जरूरी है। अगर early diagnosis हो जाता है, तो यह ठीक हो सकता है। इसीलिए हमारा आपसे आग्रह है कि इसके early diagnosis के लिए आपका मंत्रालय एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए, ताकि ये बच्चे, जिनके साथ समाज क्रूरता का व्यवहार करता है, उनके साथ मानवता का व्यवहार हो सके।

श्री थावर चन्द गहलोतः महोदय, इसी बात को ध्यान में रखकर हमने प्रयास प्रारम्भ किए हैं। मैं आपको यही जानकारी दे रहा था कि हमने जिला लैवल पर भी ऐसी व्यवस्था की है ताकि early stage पर ही इसका पता लग जाए और उनके लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए। मैं आपसे यही तो निवेदन कर रहा था। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*... We cannot continue like this. ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोतः हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। हमारे पास इसके आंकड़े भी हैं। मैंने पहले ही कहा है, आप कहें तो मैं इन्हें राज्यवार पढ़कर सुना दूंगा। **...(व्यवधान)...**

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, there are a lot of adults sitting in this House who are dyslexic and they are not aware of it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: It is true. It is true. It is a reality, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोतः सभापति महोदय, हमारा यह प्रयास है कि बच्चे के जन्म लेते ही इस प्रकार की बीमारी की जांच-पड़ताल कर ली जाए, ताकि उसको ठीक करने का प्रयास किया जा सके। अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है और लगता है कि वह विकलांगता की श्रेणी में ही है, तो हम उसे बाकी की सुविधा देने की व्यवस्था करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Tarun Vijay, you should have been here to ask your question.

श्री तरुण विजयः सर, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि भगवान के लिए यह mental retardation शब्द का इस्तेमाल मत करिए। आप उन बच्चों के माता-पिता से पूछिए, जिनके बच्चों को ये special abilities हैं कि वे क्या महसूस करते हैं। दूसरा, यह बहुत दुख की बात है कि जो dyslexic children के parents हैं, उनको दीवारों से सर टकराकर पूछना पड़ता है कि वे किस स्कूल में जायें। सर, पूरी दिल्ली में कहां सुविधा है? मैं उत्तराखंड से आता हूँ, जो दुनिया में स्कूलों के लिए जाना जाता है। सभापति महोदय, पूरे उत्तराखंड में एक भी स्कूल नहीं है, जहां dyslexic बच्चों के लिए कोई सुविधा हो। वे मां-बाप रोते हैं। उनके बच्चों का एडिमशन **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please put the question. ...*(Interruptions)*...

SHRI TARUN VIJAY: There are one crore dyslexic children in the country, Sir. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसको पॉलिटिकली मत लीजिए। यह दलों का मामला नहीं है। एक करोड़ से ज्यादा बच्चों के पांच करोड़ मां-बाप हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...(*Interruptions*)...

श्री तरुण विजयः सर, मेरा सवाल यह है कि आप मैपिंग कब करायेंगे और Dyslexic को mental retardation से हटाने की बात कब करेंगे? **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: All right. That is your suggestion.

श्री तरुण विजयः आप कब मैपिंग करायेंगे और सुविधायें कब देंगे? सर, आपका Disability Act किसी प्रदेश में स्कूलों में लागू नहीं किया जाता है। यह कहीं लागू नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Okay. All right.

श्री थावर चन्द गहलोतः सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैपिंग की प्रक्रिया जारी है। हमने विकलांग जनों की पहचान के लिए Universal Identity Card बनाने की योजना भी बनायी है और उसका प्रारम्भ भी हो गया है। **...(व्यवधान)...**

श्री आनन्द शर्माः सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि **...(व्यवधान)...**

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, अगले डेढ़ वर्ष में सारे देश में...**(व्यवधान)...** अगले डेढ़ वर्ष में सारे देश में और **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please let him finish. ...(*Interruptions*)... No; no. This interruption is not right. ...(*Interruptions*)...

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, सारे देश में, यह जो नया एक्ट बन रहा है, **...(व्यवधान)...** यह जो नया एक्ट बन रहा है **...(व्यवधान)...**

SHRI ANAND SHARMA: Sir, how can the Minister use the word '*viklang*'? ...(*Interruptions*)... Everybody knows that ...(*Interruptions*)...

श्री थावर चन्द गहलोतः मैं बता रहा हूँ। **...(व्यवधान)...** उन्होंने दो प्रश्न किये हैं, तो एक-एक करके ही तो जवाब दूँगा, दोनों का एक साथ जवाब कैसे दूँगा? **...(व्यवधान)...**

SHRI ANAND SHARMA: They are children with special needs. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let me suggest a way out. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...(*Interruptions*)... One minute. ...(*Interruptions*)... I think, if the vocabulary is to be corrected, the concerned Member should formally write to the Government and draw attention to the discussion and make a suggestion. Thank you. ...(*Interruptions*)...

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, उन्होंने दो प्रश्न किये हैं, तो मैं बारी-बारी से ही तो उनके जवाब दूँगा।

श्री सभापतिः आप बस एक का जवाब दे दीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, एक तो उन्होंने मैपिंग की बात की। तो मैं बता रहा हूँ कि हम सारे देश में persons with disabilities के criteria में जो आते हैं, उनका identification करके उनका परिचय पत्र बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, उनको चिकित्सा सुविधा और पढ़ाई की दृष्टि से, स्वाबलम्बी बनाने की दृष्टि से और मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से प्रयत्न किया जा रहा है।

हमारे अनेक संस्थान हैं, जहां शैक्षणिक सुविधा दी जाती है, चिकित्सा सुविधा दी जाती है, प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है और उनको पुनर्वासित करने की सुविधा भी दी जा रही है। हम उसमें और बढ़ोतरी करेंगे।

Discrimination in selection of smart cities

*82 DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government is aware that non-transparent methods, discrimination and political consideration are being adopted in the selection of areas for development as smart cities, if so, the details thereof;

(b) the reasons for not selecting any cities in some States, particularly in States ruled by opposition parties; and

(c) the tangible initiations being taken by Government in defence of its proclamation of list of smart cities?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. The selection of areas (area-based development) is done by the potential Smart Cities. From the Smart City Proposals submitted by the Cities, it is seen that the Cities have used a combination of criteria, for selecting areas such as economic activity, land use, land monetization and location of heritage and tourism areas. The selection has also involved citizen consultations, meetings with public representatives, desk research, analysis, etc.

(b) In Stage 1 of the Competition, 98 potential Smart Cities were selected based on the recommendations of the State Governments on objective criteria. In Stage 2, Smart City Proposals were evaluated by a Panel of Experts, on the basis of set criteria given in Smart Cities Mission Statement and Guidelines. The scoring was done impartially and 20 top scoring cities have been selected for funding in the current financial year (2015-16). The Smart Cities Mission Statement and Guidelines and the scoring of 97 cities are available on Mission's website (*www.smartcities.gov.in*).